

पत्रांक-अ0सं0क0-05-01/2013 .....291...../

बिहार सरकार  
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेषक

आमिर सुबहानी  
सरकार के प्रधान सचिव

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,  
अररिया

पटना, दिनांक .....07/05/15.....

विषय:- 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत एम0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत स्वीकृत 844 इकाई सरकारी एवं सरकारी अनुदानित प्राथमिक विद्यालयों में फोर्स लिफ्ट पम्प एवं टेराफिल फिल्टर सहित पेयजल व्यवस्था हेतु विमुक्त प्रथम किस्त की राशि का गलत उपयोगिता प्रमाण पत्र के प्रेषण के संबंध में पृच्छा ।


प्रसंग:- आपका पत्रांक 253 दिनांक 30.12.2014

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासांगिक पत्र के द्वारा 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत एम0एस0डी0पी0 के तहत वर्ष 2009-10 में स्वीकृत 844 इकाई सरकारी एवं सरकारी अनुदानित प्राथमिक विद्यालयों में फोर्स लिफ्ट पम्प एवं टेराफिल फिल्टर सहित पेयजल व्यवस्था हेतु प्रथम किस्त के रूप में विमुक्त राशि 69.63 लाख का गलत उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजे जाने के संबंध में स्थिति स्पष्ट की गई है । उल्लेखनीय है कि स्वीकृत 844 इकाई में से 448 इकाई को ड्रॉप कर दिया गया है । उक्त योजना में बिना राशि के व्यय के गलत उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने के संबंध में दोषी कर्मी/पदाधिकारी के विरुद्ध स्पष्टीकरण प्राप्त कर अनुशासत्मक कारवाई की जाये ।

अनुरोध है कि की गई कारवाई से विभाग को अवगत कराने की कृपा की जाये ।

विश्वासभाजन

  
सरकार के प्रधान सचिव  
7.5.15